सरयू राय
मंत्री
संसदीय कार्य–सह
खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं
उपभोक्ता मामले विभाग
झारखण्ड सरकार

झारखण्ड सरकार

कार्यालय :–
झारखण्ड मंत्रालय
प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची
आवास : एफ॰टाईप, पी॰डब्लू॰डी॰ (IB)
डोरण्डा, राँची
मो॰ : 9431114466

पत्रांक..16/मंत्री/खाद्य दिनांक..06-01-16..

मुख्य सचिव,

झारखंड की वर्तमान सरकार को बने एक वर्ष से अधिक हो गया. कुछ दिन बाद यह सरकार अपना दूसरा बजट पेश करेगी. 12वीं पंचवर्षीय योजना के चौथे वर्ष की वार्षिक योजना दस्तावेज के प्रारूप की तैयारी तथा योजनात्मक विकास के दीर्घकालीन लक्ष्यों के आलोक में अगले वित्तीय, वर्ष के बजट उपबंधों की प्राथमिकताओं के निर्धारण की प्रक्रिया भी अंतिम चरण में होगी. राज्य का त्वरित एवं सर्वांगीण विकास वर्तमान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. विभिन्न अवसरों पर सरकार इस प्राथमिकता को सार्वजनिक रूप से अभिव्यक्त भी करते रहती है. इसके मद्देनजर कतिपय बिन्दुओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ जो निम्नांकित हैं :–

1. राज्य में विकास योजनायें तैयार करने का कोई विशेषज्ञ तंत्र नहीं है. यह महती दायित्व योजना विभाग के कंधों पर है, जिसकी क्षमता सीमित है. मुझे लगता है कि योजनाओं का खाका तैयार करने, इनके क्रियान्वयन का मूल्याँकन करने, इनकी मध्यवर्ती/सामयिक समीक्षा करने, राज्य के विकास लक्ष्यों के अनुरूप संसाधनों का आकलन एवं संवर्धन करने तथा आवश्यकतानुसार इनका प्रक्षेत्रवार आवंटन निर्धारित करने के लिये राज्य में बहुआयामी विशेषज्ञों का एक औपचारिक समूह गठित करने की आवश्यकता प्रतीत हो रही है. राज्यहित एवं जनहित में इसका औपचारिक गठन शीघ्र किया जाना चाहिये.

2. आर्थिक विकास के प्रचुर संसाधनों की उपलब्धता झारखंड राज्य की विशेषता है. विडम्बना है कि इसके बावजूद झारखंड विकास विकलांगता का शिकार है. राज्य में अंतर्राज्यीय क्षेत्रीय विषमता एवं आय असमानता की स्थिति अत्यंत गंभीर है. विगत दिनों से सकल घरेलू उत्पादन और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि राज्य के विकास एवं उपलब्धियों के आकलन का प्रमुख आधार बना हुआ है. इस एक आयामी मापदंड पर आकलित उपलब्धियां स्वस्थ एवं सर्वांगीण सामाजिक–आर्थिक विकास का आधार नहीं हो सकती. विकास विडम्बना के "कारण और निवारण" की क्लिष्ट विवेचना में गये बिना मेरा सुझाव है कि राज्य के नीति निर्धारण और नीति निर्धारकों के मार्गदर्शन के लिये राज्य में एक

email : saryuroy@gmail.com/info@saryuroy.in/वेबसाईट -- www.saryuroy.in

सक्षम पूर्णकालिक आर्थिक सलाहकार नियुक्त होना चाहिये और इसे सशक्त संस्थात्मक आधार प्रदान किया जाना चाहिये.

3. आप सहमत होंगे कि केवल "विकास और विकास" की अवधारणा राज्य की प्रतिस्पर्धी प्रगति के लिये पर्याप्त नहीं है. विकास समावेशी होना चाहिये, समावेशन न्यायोचित होना चाहिये और इसके फल का संवितरण जनोपयेगी होना चाहिये. इस बारे मे पर्याप्त संकेत और निर्देश हमारे संविधान में है. ऐसा होने पर ही अक्षय/स्थायी/धारणीय विकास की अवधारणा मूर्त रुप ले सकती है. इस हेतु विकास कार्यों और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण/संवर्धन हेतु एक बहुस्तरीय सलाहकार पर्षद का गठन होना चाहिये, जो राज्य स्तर पर कार्यरत विशेषज्ञ समूह के साथ अनुमंडल स्तर, जिला स्तर एवं प्रखंड स्तर तक की स्थानीय औपचारिक/अनौपचारिक आवश्यकता एवं बुद्धिमताजन्य सोच को साकार करने हेतु व्यावहारिक समन्वय का आधार प्रदान करे.

4. संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के आधार पर पंचायती राज और नागरिक स्वशासन का नया आयाम खुला है. भारत सरकार इन संस्थाओं को स्थानीय विकास के लिये राज्य सरकार को माध्यम बनाये बिना केन्द्रीय योजना से सीधे वित्तीय सहायता भेज रही है. भारतीय प्रशासनिक सेवा के उपायुक्त एवं समकक्ष अधिकारियों के माध्यम से इसका पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण भी कर रही है. ऐसे वित्तीय उद्व्यय से क्रियान्वित होनेवाली विकास परियोजनाओं की उपलब्धियों का राज्य योजना के प्रतिफल के साथ सुसंगत तालमेल सहित संयुक्त मूल्यांकन के लिये ग्रामीण विकास विभाग और नगर विकास विभाग से इतर एक संस्थात्मक ढाँचा तैयार किया जाना चाहिये. यह राज्य वित्तीय आयोग के अधीन भी हो सकता है और इसका पूरक भी. सांसद एवं विधायक निधि से हो रहे विकास कार्यों की उपलब्धियों का मूल्यांकन एवं प्रभाव अध्ययन का माध्यम भी यह संस्थान हो सकता है.

5. राज्य में मानव विकास सूचकांक की स्थिति कचोटने वाली है. आंकड़ों के हवाले से यहां पर इसकी विशद विवेचना बोझिल प्रतीत होगी. फिर भी सरकार के योजना उद्व्यय और बजटीय उपबंध का इस संदर्भ में आकलन आवश्यक प्रतीत होता है ताकि राज्य की जनता का जीवन स्तर बेहतर हो सके, समाज ज्ञानवान हो सके, लोगों का जीवन स्वस्थ हो सके. राज्य की सामाजिक सुरक्षा तथा पोषण एवं कल्याण कार्यक्रमों में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करना और इन्हें निर्धारित मानदंडों के अधीन सार्वजनीन बनाना और लिंग, वर्ग, आयु, निशक्तता आदि भेदों से परे व्यापक आधार प्रदान करना समय की मांग है. ऐसे उद्व्ययों के सामाजिक प्रभाव अध्ययन की सुचिंतित व्यवस्था भी अपरिहार्य प्रतीत होती है. इसमें

विश्वविद्यालय, महाविद्यालय आदि शैक्षणिक जगत के मानव संसाधन का उपयोग किया जा सकता है.

6. योजना प्रक्रिया में सांख्यिकी की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में हम सभी भलीभांति अवगत हैं. प्राथमिक सांख्यिकी संग्रह की गुणवता में अभिवृद्धि के लिये योजना विभाग के अंतर्गत कार्यरत सांख्यिकी निदेशालय का सुदृढ़ीकरण आवश्यक है. सम्प्रति यह निदेशालय सक्षम स्थिति में नहीं है. योग्य और अनुभवी विशेषज्ञों को इसके साथ जोड़कर इसे प्राथमिकता के आधार पर सशक्त बनाया जाना चाहिये.

7. राज्य में उपलब्ध मानव संसाधन की दक्षता और प्रवीणता में अभिवृद्धि कर जमीनी स्तर पर पूंजी निर्माण की प्रक्रिया को गति देने के लिये पर्याप्त सार्वजनिक निवेश की आवश्यकता है. यह कार्य बाह्य पूंजी निवेश के भरोसे संभव नहीं है. बाह्य पूंजी निवेश की स्वाभाविक प्रवृत्ति मुनाफा अर्जित करने की रहती है. मुनाफा अर्जन की प्रवृत्ति और सामाजिक प्रक्षेत्र की आवश्यकतायें मूल रुप से परस्पर विरोधी और असमानता को बढ़ावा देनेवाली होती हैं. सामाजिक प्रक्षेत्रों मे निजी पूंजी का प्रभाव प्रथम दृष्ट्या गुणवत्ता विकास का एहसास तो कराता है परंतु समान अवसर प्रदान कराने के लक्ष्य से दूर और सर्वसामान्य की पहुंच से परे एक अभिजात्य श्रेणी का सृजन भी करता है.

सामाजिक प्रक्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को प्रभावी बनाकर निजी पूँजी निवेश के प्रभाव क्षेत्र से परे पड़े सर्वसामान्य समूह की दक्षता–प्रवीणता को प्रतिस्पर्धी स्वरुप प्रदान करने के लिये इन प्रक्षेत्रों के वर्तमान सांस्थिक ढाँचा के स्वरुप को प्रशिक्षित करने, सुदृढ़ करने और जिम्मेदार बनाने की कार्य योजना पर अमल किया जाना चाहिये ताकि इस क्षेत्र में सार्वजनिक पूंजी निवेश का प्रतिफल एक ज्ञानवान समाज के रूप में राज्य की दीर्घकालीन विकास प्रक्रिया को मजबूत आधार प्रदान करे.

8. वित्तीय वर्ष 2016-17 की योजना और बजट के बारे में लीक से हटकर एक अवधारणा को अपनाने पर विचार हो तो राज्य की क्षेत्रीय विषमता पर काबू पाने और योजना/बजट के विकेंद्रीकरण की दिशा में यह एक सार्थक पहल साबित होगी. अभी तक राज्य के योजना बजट में प्रक्षेत्रवार आवंटन का उपबंध प्रदेश स्तर पर होता है. राज्य के बजट में यह उपबंध जिलावार किया जाये. अलग अलग जिलों में विकास की प्राथमिकतायें अलग अलग होती हैं. जबकि राज्य के वार्षिक बजट में प्रक्षेत्रवार उपबंध राज्य के औसत के आधार पर होता है. इसके लिये प्रक्षेत्रवार प्रत्येक जिला की विकास प्राथमिकताओं का निर्धारण करना होगा. एक प्रक्षेत्र के लिये जिलावार बजटीय उपबंध निर्धारण के लिये विभिन्न जिलों में प्राथमिकतायें भिन्न हो सकती हैं. इस आधार पर किसी जिला की जरूरत के

मुताबिक वहाँ की विशेष योजना तैयार करनी होगी और तदनुसार वहां के लिये बजटीय उपबंध करने होंगे. यदि कोई जिला किसी प्रक्षेत्र विशेष में पीछे है तो भी और किसी प्रक्षेत्र विशेष में वहाँ विकास की व्यापक संभावना है तो भी वहाँ के लिये राज्य बजट में उपबंध के विशेष प्रावधान किये जा सकते हैं और विशेष प्रोत्साहन प्रदान किये जा सकते हैं. वित्त एवं योजना विभाग के अधिकारियों द्वारा थोड़ा अधिक समय लगाकर और थोड़ा अधिक परिश्रम कर इस अवधारणा का समावेश राज्य के आगामी बजट में किया जा सकता है. इसके लिये विभिन्न जिलों के उपायुक्तों से उनके जिलों से ज़मीनी स्तर के आँकड़े प्राप्त कर उनका सम्यक् विश्लेषण करना होगा. और एक जिला कार्ड बनाना होगा. ऐसा हुआ तो राज्य का आगामी वार्षिक बजट लीक से हटकर होगा और राज्य के पिछड़े क्षेत्रों के लिये विशेष लाभकारी होगा. कालक्रम में इससे जिला योजना की उपयोगिता एवं उपादेयता बढ़ेगी. जिले अपने स्तर से प्रखंडश: विकास विषमता एवं क्षमता का आकलन करने के लिये प्रेरित होंगे. जिला स्तरीय प्रशासनिक ढाँचागत सुधार को गति देने की स्वाभाविक प्रक्रिया इससे प्रारम्भ हो सकती है. राज्य बजट में विकेन्द्रित योजना, बजट की अवधारणा का समावेश संघीय वित्त पोषण के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम साबित होगा.

9. ग्रामीण एवं शहरी गरीबी को रेखांकित करने वाली केन्द्र निर्धारित गरीबी रेखा के आधार पर राज्यों में भी बीपीएल परिवारों को चिन्हित किया जाता है. पर बीपीएल श्रेणी मे भी सभी गरीब परिवारों का समावेश नहीं हो पा रहा है. इसी तरह विधवा, वृद्धा, नि:शक्त श्रेणियों के लाभुकों को देय लाभ भी सार्वजनीन नहीं है. इस कारण एक बड़ा समूह पात्र होने के बावजूद सीमा रेखा की मर्यादा के कारण इस लाभ से वंचित रह जा रहा है. क्षेत्र एवं राज्य भ्रमण के दौरान अनेक वृद्ध, विधवा और नि:शक्त मिलते हैं जो पात्र तो हैं पर उन्हें इस श्रेणी की सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ नहीं मिल रहा है. राज्य सरकार ने कतिपय सेवाओं एवं सुविधाओं के लिये गरीबी रेखा के मापदंड को शिथिल कर अधिकतम 72 हजार रुपये वार्षिक आय तक की सीमा के भीतर आनेवाले परिवारों को उन सामाजिक सेवाओं का लाभ प्राप्त करने का हकदार बनाया है. इस मापदंड को बढ़ाने की जरूरत है. ऐसा ही मापदंड बनाकर वृद्धा, विधवा एवं नि:शक्त श्रेणी के सभी पात्र लाभुकों को, राज्य एवं केन्द्र प्रदत्त सुविधाओं को बुनियादी सुविधा मानकर, ऐसे लाभ का हकदार घोषित करने का निर्णय राज्य सरकार को लेना चाहिये और इसके लिये राज्य बजट में जरूरी उपबंध किया जाना चाहिये. शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषाहार आदि क्षेत्रों के चिन्हित कार्यक्रमों में सबको समान अवसर देने पर विचार करना उपयुक्त होगा.

10. राज्य में ठेका मजदूरों एवं असंगठित श्रम संसाधन की समस्या अति गंभीर है. केवल औद्योगिक एवं विनिर्माण सदृश आर्थिक गतिविधियों में कार्यरत ठेका कर्मियों की ही नहीं, बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य सदृश सामाजिक प्रक्षेत्रों में भी और राज्य सरकार के चतुर्थवर्गीय श्रेणी में कार्यरत संविदा कर्मियों की स्थिति भी विचारणीय है. उच्च शिक्षा के क्षेत्र में व्याख्याता के रूप में सेवा देने वाले प्रबुद्ध जन भी अति न्यून वेतनमान पर कार्य करने के लिये अभिशप्त हैं. इस स्थिति को बदलने और सेवाओं के प्रतिदान स्वरूप विभिन्न श्रेणियों के न्यूनतम वेतनमान स्तर की आजीविका सहूलियत उपलब्ध कराने हेतु मानवीय आधार पर राज्य बजट में आवश्यक उपबंध करने की जरूरत है.

11. अंग्रेज़ी की कहावत है कि "सेविंग इज अर्निंग" यानी बचत भी आमदनी है. सरकारी खर्चों, विशेषकर कार्य विभागों द्वारा विविध आधारभूत संरचनाओं के सृजन पर किये जा रहे भारी खर्चो के परिप्रेक्ष्य में यह कहावत सटीक बैठती है. राज्य की ऐसी परियोजनाओं के प्राक्कलन और उनके निर्माण की आवश्यकता एवं गुणवत्ता पर एक समीक्षात्मक नजर डालने से स्थिति स्पष्ट हो जा सकती है और सरकारी खर्च पर नियंत्रण किया जा सकता है. सरकार के वित्त विभाग में खर्च के नियंत्रण हेतु एक कोषांग की स्थापना की जानी चाहिये जिसके जिम्मे आंतरिक अंकेक्षण का दायित्व भी दिया जा सकता है. इससे विकास परियोजनाओं में भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति पर भी अंकुश लगाया जा सकता है.

12. भारत सरकार के साथ ही राज्य सरकार भी अपने बजट में कतिपय प्रक्षेत्रों के लिये अनुदान देती है. इन प्रक्षेत्रों में खाद्य सार्वजनिक वितरण, समाज कल्याण, मानव संसाधन, कृषि एवं सहकारिता आदि प्रमुख हैं. अधिप्राप्ति और संवितरण हेतु प्रावधानित ऐसे अनुदानों के सार्थक उपयोग पर अक्सर प्रश्न चिन्ह लगते रहते हैं. सरकारी खजाना पर भारी बोझ डालने वाले ऐसे अनुदान उदव्यय निष्फल नहीं साबित हों इसके लिये नीतिगत पहल आवश्यक है.

मुझे उम्मीद है कि आगामी वित्तीय वर्ष के लिये राज्य की योजना और बजट को मूर्त देने की प्रक्रिया के साथ उपर्युक्त बिन्दुओं में निहित विचार का यथासंभव समावेश करने हेतु आवश्यक कदम उठायेंगे.

सधन्यवाद,

सरयू राय 6.1.2016

मुताबिक वहाँ की विशेष योजना तैयार करनी होगी और तदनुसार वहां के लिये बजटीय उपबंध करने होंगे. यदि कोई जिला किसी प्रक्षेत्र विशेष में पीछे है तो भी और किसी प्रक्षेत्र विशेष में वहाँ विकास की व्यापक संभावना है तो भी वहाँ के लिये राज्य बजट में उपबंध के विशेष प्रावधान किये जा सकते हैं और विशेष प्रोत्साहन प्रदान किये जा सकते हैं. वित्त एवं योजना विभाग के अधिकारियों द्वारा थोड़ा अधिक समय लगाकर और थोड़ा अधिक परिश्रम कर इस अवधारणा का समावेश राज्य के आगामी बजट में किया जा सकता है. इसके लिये विभिन्न जिलों के उपायुक्तों से उनके जिलों से ज़मीनी स्तर के आँकड़े प्राप्त कर उनका सम्यक् विश्लेषण करना होगा. और एक जिला कार्ड बनाना होगा. ऐसा हुआ तो राज्य का आगामी वार्षिक बजट लीक से हटकर होगा और राज्य के पिछड़े क्षेत्रों के लिये विशेष लाभकारी होगा. कालक्रम में इससे जिला योजना की उपयोगिता एवं उपादेयता बढ़ेगी. जिले अपने स्तर से प्रखंडश: विकास विषमता एवं क्षमता का आकलन करने के लिये प्रेरित होंगे. ज़िला स्तरीय प्रशासनिक ढाँचागत सुधार को गति देने की स्वाभाविक प्रक्रिया इससे प्रारम्भ हो सकती है. राज्य बजट में विकेन्द्रित योजना बजट की अवधारणा का समावेश संघीय वित्त पोषण के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम साबित होगा.

9. ग्रामीण एवं शहरी गरीबी को रेखांकित करने वाली केन्द्र निर्धारित गरीबी रेखा के आधार पर राज्यों में भी बीपीएल परिवारों को चिन्हित किया जाता है. पर बीपीएल श्रेणी मे भी सभी गरीब परिवारों का समावेश नहीं हो पा रहा है. इसी तरह विधवा, वृद्धा, नि:शक्त श्रेणियों के लाभुकों को देय लाभ भी सार्वजनीन नहीं है. इस कारण एक बड़ा समूह पात्र होने के बावजूद सीमा रेखा की मर्यादा के कारण इस लाभ से वंचित रह जा रहा है. क्षेत्र एवं राज्य भ्रमण के दौरान अनेक वृद्ध, विधवा और नि:शक्त मिलते हैं जो पात्र तो हैं पर उन्हें इस श्रेणी की सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ नहीं मिल रहा है. राज्य सरकार ने कतिपय सेवाओं एवं सुविधाओं के लिये गरीबी रेखा के मापदंड को शिथिल कर अधिकतम 72 हजार रुपये वार्षिक आय तक की सीमा के भीतर आनेवाले परिवारों को उन सामाजिक सेवाओं का लाभ प्राप्त करने का हकदार बनाया है. इस मापदंड को बढ़ाने की जरूरत है. ऐसा ही मापदंड बनाकर वृद्धा, विधवा एवं नि:शक्त श्रेणी क़े सभी पात्र लाभुकों को, राज्य एवं केन्द्र प्रदत्त सुविधाओं को बुनियादी सुविधा मानकर, ऐसे लाभ का हकदार घोषित करने का निर्णय राज्य सरकार को लेना चाहिये और इसके लिये राज्य बजट में जरूरी उपबंध किया जाना चाहिये. शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषाहार आदि क्षेत्रों के चिन्हित कार्यक्रमों में सबको समान अवसर देने पर विचार करना उपयुक्त होगा.